

क्रमांक:- आर.एन.सी./2025/जीबी/1338-43

दिनांक:- 14-02-2025

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की जीबी की बैठक दिनांक 22.01.2025 के एजेन्डा संख्या 19 के अन्तर्गत लिए गये निर्णय में {Nurse Practitioner in Midwifery (NPM) Program} 18 माह से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क के रूप में 5000/- (पाँच हजार रुपये) निर्धारित की जाती है।  
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(जोईस कुरियन)  
रजिस्ट्रार  
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल  
जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी./2025/जीबी/1338-43

दिनांक:- 14-02-2025

प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, (ग्रुप-3), जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय (जन. स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. लेखा अनुभाग को सूचनार्थ।
4. आई.टी. सलाहकार (अनुबन्ध) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करे।
5. कार्यालय प्रति।



रजिस्ट्रार  
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल  
जयपुर